प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

29 दिसंबर 2024

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – नवंबर 2023

नवंबर 2023[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में नवंबर 2023[3] में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 17.6 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण[3] के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि एक वर्ष पहले के 14.0 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2023 में 18.2 प्रतिशत (व-द-व) हो गई।

- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण नवंबर 2022 के 13.0 प्रतिशत की तुलना में नवंबर 2023 में 6.1 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, 'मूल धातु और धातु उत्पाद', 'खाद्य प्रसंस्करण' एवं 'कपड़ा' हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (व-द-व) नवंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'सभी इंजीनियरिंग', 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' एवं 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।

- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में एक वर्ष पहले के 21.3 प्रतिशत की तुलना में नवंबर 2023 में 21.9 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई। प्रमुख योगदानकर्ताओं में, 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' को प्रदत्त ऋण में वृद्धि नवंबर 2023 में कम हो गई।

- आवास हेतु प्रदत्त ऋण की वृद्धि में कमी आने की वजह से, वैयक्तिक ऋण की वृद्धि नवंबर 2023 (एक वर्ष पहले 19.9 प्रतिशत) में घटकर 18.6 प्रतिशत (व-द-व) रह गई।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1577

[1] आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

[2] खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

[3] किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।